

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix
अध्याय 1: अवलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण	1.2	3
प्रतिवेदन की संरचना	1.3	4
सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन	1.4	5
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5	10
लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटा और कुल ऋण/बकाया	1.6	16
अध्याय 2: राज्य का वित्त		
वर्ष 2019-20 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन	2.1	19
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	20
राज्य के संसाधन	2.3	21
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	21
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	22
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3	31
संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	33
संसाधनों के अनुप्रयोग	2.4	33
राजस्व व्यय	2.4.1	35
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2	37
पूँजीगत व्यय	2.4.3	40
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.4	42
राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम	2.4.5	43
अधूरी परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	2.4.6	44
लोक लेखे में स्थानांतरित किए गए पूँजीगत व्यय	2.4.7	46
सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता	2.4.8	47
व्यय की प्राथमिकता	2.4.9	47
वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय	2.4.10	48
लोक लेखा	2.5	48
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	49
ब्याज सहित रक्षित निधि	2.5.2	50
ब्याज रहित रक्षित निधि	2.5.3	52
ऋण प्रबंधन	2.5.4	53
ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास और पुनर्भुगतान	2.6	57
नकद शेष का प्रबंधन	2.7	60
निष्कर्ष	2.8	63
अनुशंसाएँ	2.9	64
अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन		
बजटीय प्रक्रिया	3.1	65

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
विनियोग लेखे	3.2	68
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.3	74
व्यय का वेग	3.4	77
अनुदान संख्या 03 - भवन निर्माण विभाग के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा	3.5	78
अनुदान संख्या 46 - पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग (पर्यटन प्रभाग) की बजटीय प्रक्रिया	3.6	92
निष्कर्ष	3.7	100
अनुशंसाएँ	3.8	101
अध्याय 4: लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार		
राज्य की संचित निधि या लोक लेखा निधि के बाहरी निधि	4.1	103
गैर-बजट उधार	4.2	104
राज्य कार्यन्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षतः हस्तांतरित धनराशि	4.3	105
स्थानीय निधि जमा	4.4	106
उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	4.5	107
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र	4.6	108
व्यक्तिगत बही खाता	4.7	110
व्यक्तिगत जमा खाता	4.8	112
लघु शीर्ष 800 का निरंतर उपयोग	4.9	112
प्रमुख उंचंत, कर्ज, जमा और प्रेषण शीर्षों के अधीन बकाया शेष	4.10	113
विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन	4.11	114
नकद शेष का समाशोधन	4.12	116
लेखा मानकों का अनुपालन	4.13	116
स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	4.14	117
निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण	4.15	119
दुरुपयोग, हानि, चोरी इत्यादि	4.16	119
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.17	120
निष्कर्ष	4.18	120
अनुशंसाएँ	4.19	121
अध्याय 5: सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग		
परिचय	5.1	123
शासनादेश	5.2	123
इस अध्याय में क्या है	5.3	124
एसपीएसई की संख्या	5.4	124
जीएसडीपी में एसपीएसई के कारोबार का योगदान	5.5	125
सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी में निवेश	5.6	126
एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग	5.7	127
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश	5.8	128
राज्य सरकार की कंपनियों को दिए गए ऋण	5.9	128
ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता	5.10	129
राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को बजटीय सहायता	5.11	130

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	5.12	130
सरकारी कंपनियों से प्रतिफल	5.13	131
ऋण सेवा और कानूनी अनुपालन	5.14	131
सरकारी कंपनियों की परिचालन दक्षता	5.15	133
घाटे में चल रहे एसपीएसई	5.16	136
उज्ज्वल डिस्कॉम एंशयोरेंस योजना (उदय) का कार्यान्वयन	5.17	137
सीएजी की निगरानी भूमिका	5.18	139
लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.19	141
सीएजी की पर्यवेक्षक भूमिका का परिणाम	5.20	143
निष्कर्ष	5.21	144

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-क	झारखण्ड का परिचय	147
परिशिष्ट 1.1 भाग-ख	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	148
परिशिष्ट 1.1 भाग-ग	वित्त लेखे का अभिन्यास	148
परिशिष्ट 2.1	वर्ष 2020-21 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	149
परिशिष्ट 2.2	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े	153
परिशिष्ट 2.3	31 मार्च 2021 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	156
परिशिष्ट 3.1	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ` 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	157
परिशिष्ट 3.2	अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुनर्विनियोग	159
परिशिष्ट 3.3	वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ` 100 करोड़ से अधिक)	161
परिशिष्ट 3.4	वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ` 500 करोड़ से अधिक)	163
परिशिष्ट 3.5	मार्च महीने के अंत में ` 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि	164
परिशिष्ट 3.6	2020-21 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक का संवितरण	166
परिशिष्ट 3.7	पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	168
परिशिष्ट 3.8	योजनाओं का विवरण (` एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	169
परिशिष्ट 3.9	व्यय का वेग	175
परिशिष्ट 3.10	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में अभ्यर्पण	176
परिशिष्ट 3.11	व्यय का वेग (भ.नि.वि.)	177

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 3.12	विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन का ब्यौरा	178
परिशिष्ट 3.13	व्यक्तिगत बही/जमा/बैंक खातों में अवरुद्ध निधि	179
परिशिष्ट 3.14	कार्य का पूर्ण न होना	182
परिशिष्ट 4.1	बकाया डी. सी. विपत्र	184
परिशिष्ट 4.2	नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	185
परिशिष्ट 5.1	2020-21 के दौरान सी.ए.जी. लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियों/सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची	187
परिशिष्ट 5.2	तीन वर्ष से अधिक के लेखों/पहले लेखा के अप्राप्त/अदेय के बकाया के साथ कार्यात्मक सा.क्षे.उ.	188
परिशिष्ट 5.3	राज्य सरकार निवेश के निवल वर्तमान मूल्य	189
	शब्दावलियों की सूची और गणनाओं का आधार	190